प्रैस नोट जिला सोनीपत दिनांक 24.01.2021

पुलिस अधीक्षक सोनीपत श्री जशनदीप सिंह रंधावा ने 26 जनवरी 2021 को किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड को मध्यनजर रखते हुये ट्रफिक एडवाइजरी को लेकर दिये विशष दिशा निर्देश–वाहन चालकों की सुविधा के लिए मार्गो का किया परिवर्तन, के0जी0पी0 व के0एम0पी0 का ना करे प्रयोग, जीन्द व गोहाना से आने वाले ट्रैक्टर सोनीपत बाईपास, जाहरी चौक से होते हुये पहुंचे जी0टी0 रोड़ पर और आपातकालीन वाहनों के लिये एक लाईन का छोड़े मार्ग, आवश्यक कार्य से ही निकले बाहर और भीड़भाड़ से बचे सोनीपत 24 जनवरी। दिनांक 26 जनवरी 2021 को किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड को मध्यनजर रखते हुये पुलिस अधीक्षक सोनीपत श्री ज"ानदीप सिंह रंधावा ने अपने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को ट्रैफिक एडवाईजरी को लेकर वि"ोष दि"ाा निर्दे"ा दिये है तथा वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिये ट्रैफिक एडवाईजरी जारी की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्री ज"ानदीप सिंह रंधावा ने बताया कि के0जी0पी0 व के0एम0पी0 का ना करे प्रयोग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर जम्मू क"मीर, हिमाचल प्रदे"ा, पंजाब व चण्डीगढ़ से आने वाले भारी वाहन यू0पी0, गाजियाबाद व नोएडा जाने के लिए सोनीपत की अपेक्षा करनाल से शामली होकर व पानीपत से सनौली होकर यू0पी0, गाजियाबाद व नोएडा जा सकते है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग–71ए के जरिए गोहाना, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी से होते हुए प्रवे"ा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू–क"मीर, हिमाचल प्रदे"ा, पंजाब व चण्डीगढ़ से आने वाले हल्के वाहन दिल्ली व गुरूग्राम जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग–44 का प्रयोग करते हुए गन्नौर से नहर रोड़ पर व मुरथल से सोनीपत, अग्रसैन चौक, महाराणा प्रताप चौक, आई0टी0आई0 चौक से होते हुये खरखौदा की तरफ जा सकते है। इसके अलावा बहालगढ़ से बागपत, खेकड़ा, लोनी बॉर्डर से होते हुये जा सकते हैं तथा सोनीपत से दिल्ली जाने वाले हल्के वाहन चालक

सफियाबाद, औचन्दी बॉर्डर, लामपुर व दहेसरा से होते हुये दिल्ली जा सकते है। इसी के साथ–साथ ट्रैक्टर चालकों से अपील की गई है कि आपातकालीन वाहनों के लिये एक लाईन का मार्ग छोड़कर चले तथा जीन्द व गोहाना से आने वाले ट्रैक्टर चालक सोनीपत बाईपास, जाहरी चौक से होते हुये जी0टी0 रोड़ पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी एजुके"ान सिटी राई व औद्योगिक क्षेत्र राई में अपने वाहनों को पार्क करे तथा अतिआव"यक कार्य होने पर ही अपने वाहनों को निकाले बाहर और भीड़भाड़ से बचे।

हत्या की घटना में संलिप्त एक और आरोपी का किया गिरफतार, न्यायालय में पेशकर लिया पुलिस रिमाण्ड पर, मामले की विवेचना जारी पुलिस अधीक्षक ज"ानदीप सिंह रंधावा ने अपने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, प्रबन्धक थाना एवं यूनिट प्रभारियों को अपराधियो एवं असामाजिक तत्वो की धरपकड़ के सख्त निर्दे"ा दिये हुये है। इन्हीं निर्दे"ाों की पालना करते हुये जिले के थाना मोहाना की पुलिस ने हत्या की घटना में संलिप्त एक और आरोपी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी विजय पुत्र सतबीर निवासी माहरा जिला सोनीपत का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि गत 15 जनवरी को रामनारायण पुत्र चन्द्रभान निवासी माहरा ने थाना मोहाना में "ाकायत दी थी कि बीरू उर्फ सतबीर पुत्र दयानन्द, संजय पुत्र सतबीर व विजय पुत्र सतबीर निवासी माहरा ने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी रो"ानी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस घटना का उक्त रामनारायण के कथनानुसार कथन अंकित कर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत थाना मोहाना में अभियोग दर्ज किया गया। अनुसंधान टीम में नियुक्त उ0नि0 पूर्ण सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों की खोजबीन करते हुये घटना में संलिप्त आरोपी संजय पुत्र सतबीर निवासी माहरा को पहले ही गिरफतार कर लिया गया था। गिरफतार आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर अपने किये अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुये बताया कि होने वाले पंचायत चुनाव में वोट डालने को लेकर

कहासुनी में इस घटना को अन्जाम दिया था। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पे”ाकर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया था। रिमाण्ड अवधि के दौरान अनुसंधान टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये गिरफतार आरोपी के बताये अनुसार घटना में प्रयुक्त कमानीदार चाकू को भी बरामद कर लिया गया था। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पे”ाकर न्यायालय के आदे”ाानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये घटना में संलिप्त एक और आरोपी विजय पुत्र सतबीर निवासी माहरा को गिरफतार कर लिया गया है। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पे”ाकर एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। शीघ्र ही घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों को गिरफतार कर लिया जायेगा। मामले की विवेचना जारी है।

अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत अवैध हथियार सहित आरोपी चढा पुलिस के हत्थेजिले के सी0आई0ए0–2 स्टाफ सोनीपत की पुलिस ने अवैध हथियार सहित आरोपी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी शौकत अली पुत्र मंगत राम निवासी खेवड़ा हाल सी0आर0पी0एफ0 कालोनी खेवड़ा जिला सोनीपत का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि सी0आई0ए0–2 स्टाफ सोनीपत में नियुक्त मुख्य सिपाही नरे”ा कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की खोज में खेवड़ा की सीमा में मौजूद था कि इन्हें एक युवक संदिग्ध अवस्था में घुमता हुआ दिखाई दिया। जिसको काबू

करके नाम व पता पूछा तो अपनी पहचान शौकत अली पुत्र मंगत राम निवासी खेवड़ा हाल सी0आर0पी0एफ0 कालोनी खेवड़ा के रूप में दी। तला”ी लेने पर इसके कब्जा से एक अवैध दे”ी पिस्तौल 315 बोर मिला। गिरफतार आरोपी के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत थाना राई में अभियोग दर्ज किया गया। अनुसंधान टीम द्वारा गिरफतार आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर अपने किये अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुये बताया कि इस अवैध हथियार को राह चलते व्यक्ति से पांच हजार रूपये में खरीदा था। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पे”ाकर न्यायालय के आदे”ाानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है।

जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री के मुख्य आरोपी को किया गिरफतार, न्यायालय में पेशकर लिया पुलिस रिमाण्ड पर जिले के थाना मोहाना की पुलिस ने जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री के मुख्य आरोपी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी अमित उर्फ मीनू पुत्र रामबीर निवासी नैनातातारपुर जिला सोनीपत का रहने वाला है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि गत 05 नवम्बर को थाना मोहाना पुलिस द्वारा अपराधियों एंव असामाजिक तत्वों की खोजबीन करते हुये सूचना मिली थी कि गांव नैनातातारपुर की सीमा में स्थित एक मकान में अवैध जहरीली शराब बनाने का धन्धा चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुये आरोपी को धर दबोचा था। नाम व पता पूछने पर अपनी पहचान विजय पुत्र हो”ियार सिंह निवासी नैनातातारपुर हाल सैक्टर–23 शहर सोनीपत के रूप में दी थी।

तला”ाी लेने पर दो ड्रम जहरीली शराब, 254 बोतल रसीला संतरा, एक थर्मामीटर, कैमिकल, सील लगाने की म”ाीन, वाटर पम्प, तीन कैन, तीन खाली ड्रम, चार हजार बोतल के ढक्कन, पांच सिरिन्ज व सफेद पाईप मिली थी। इस घटना का आबकारी अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत थाना मोहाना में अभियोग दर्ज किया गया था। अनुसंधान टीम द्वारा गिरफतार आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर अपने किये अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुये बताया कि इस अवैध शराब को तैयार कर अलग–अलग स्थानों पर सप्लाई करना था। अनुसंधान टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये घटना में संलिप्त दो और आरोपियों अजीत उर्फ जीता पुत्र राजसिंह निवासी सिटावली व मुके”ा पुत्र सुरे”ा निवासी सैदपुर को भी पहले ही गिरफतार कर लिया गया था। गिरफतार आरोपियों को न्यायालय मे पे”ाकर न्यायालय के आदे”ाानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये घटना में संलिप्त जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री के हिस्सेदारों व घटना में संलिप्त आरोपियों नरे”ा उर्फ ने”ाी पुत्र रामबीर, मन्दीप उर्फ सेठा पुत्र हरिओम निवासी नैनातातारपुर, कुलदीप, सन्दीप उर्फ मामा, मोहित, विजय व विजय पुत्र भूपसिंह निवासी आहुलाना को भी पहले ही गिरफतार कर लिया गया था। गिरफतार आरोपियों को न्यायालय मे पे”ाकर न्यायालय के आदे”ाानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री में कैमिकल सप्लाई करने, लेबल, डाटा व पेटी गत्ता, ढक्कन व बोतल उपलब्ध करवाने के आरोपियों जयसिंह पुत्र रामजीलाल, रविन्द्र उर्फ विरेन्द्र निवासी नैनातातारपुर व राजे”ा उर्फ भालू पुत्र जगदेव निवासी राजलूगढी को भी पहले ही गिरफतार कर लिया था। गिरफतार आरोपियों के बताये अनुसार घटना में प्रयुक्त बलैरो गाड़ी को भी गाड़ी बरामद कर लिया गया था। गिरफतार आरोपियों को न्यायालय में पे”ाकर न्यायालय के आदे”ाानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान टीम में नियुक्त स0उ0नि0 नरेन्द्र ने अपनी पुलिस टीम के साथ कार्यवाही करते हुये जहरीली

शराब बनाने की फैक्ट्री के मुख्य आरोपी अमित उर्फ मीनू पुत्र रामबीर निवासी नैनातातारपुर को गिरफतार कर लिया गया है। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पे”ाकर तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। शीघ्र ही घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया जायेगा। मामले की गहनता से विवेचना जारी है।